राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम बनाम प्रभु 252/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पो. को पूर्व में भी बहस हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष आज उपस्थित नही आये है। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण व्यवसाय से कृषक है और भूमि 799, 800, 817, 819 तथा 820 साबिका व मुताबिक बन्दोबस्त संवत 1984 कि जिसके परिवर्तित नम्बर 824, 825, 841, 843, 844, व मुजीब खतौनी बन्दोबस्त 2003 लगा 2022 है स्थित ग्राम बडवा तहसील बस्सी जिला जयपुर के वादी भी काश्तकार है और अपने पूर्वजों के जमाने से बहैसियत काश्तकार खेती करते चले आ रहे है और सरकारी लगान अदा करते रहे है। संवत 1984 में भूमि ख.नं. 799, 800, 817 थे कि जिसके परिवर्तित नम्बर 824, 825, 841, 2003 लगा. 2022 में बने जिनमें वर्तमान चक 324/1 व 334 है में गलत तरीके से नन्दा वगैरह राहिन तथा माग्य व डूंगा को मूर्तहीन दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविकता ये है कि मांग्या व डूंगा के यहां उपरोक्त भूमि कभी भी नन्दा वगैराह के द्वारा रहन नहीं की गई थी बल्कि भूमि जीवा के जमाने से ही वादीगण की खातेदारी में चली आ रही थी और वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। रहन मूर्तहीन के इन्द्राजात सर्वधा गलत है और राजस्व अभिलेखों से भी यह गलती स्पष्ट रुप से सिद्ध होती है। खतोनी बन्दोबस्त सं. 1984 से स्पष्ट *कि भूमि ख.नं. 819 व 820 एक मात्र मांग्या पुत्र नानगा की खातेदारी में दर्ज है। और कोई रहन मुर्तहीन का इन्द्राज नहीं है। संवत 1991 में दस साल पर्चे में बिना किसी रहन का अस्तित्व होते हुये ख.नं. 819 व 820 जिनका हाल चक 332 है पर भी रहन मुर्तहीन दर्ज कर दिया गया और डूंगा पुत्र नानगा को मुर्तहीन दर्ज करते हुए भुवना पुत्र मंगला व नन्दा पुत्र काना को राहिन दर्ज कर दिया। ख.नं. 799, 800, 817 पर एक मात्र मांग्या पुत्र नानगा को मूर्तहीन दर्ज कर दिया गया एवं डूंगा को नाम मुर्तहीन से हजफ कर दिया गया। जबकि 1984 की खतौनी में डूंगा व मांग्या दोनो मूर्तहीन थे। इसी तरह से व वक्त बन्दोबस्त 2003 ख.नं. 824 व 825 जिनके साबिक नं. 799 व 800 थे पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुर्तहीन की जगह से मांग्या पुत्र नानगा के बजाय नारायण पुत्र भैरु को मतहीन अंकित कर दिया गया। जो वंश वृक्ष प्रस्तुत किया गया है | उससे स्पष्ट है कि नारायण नानगा के बेटों में से नहीं है बल्कि भींवा के बेटों में से है। नारायण का नाम मुर्तहीन की जगह अंकित करना ही इस बात का चेतक है कि किस तरह से राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज हो रहे है। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वादीगण को आराजी ख.नं. 324/1, 332, 334 मौजा बडवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड इन्द्राज किया जावें एवं राहिन मुर्तहीन के इन्द्राज को हजफ किया जावें। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत निषेधाज्ञा डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जावे कि वादीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ख.न. 324/1, 332, 334 मौजा बडवा में वादीगण के कब्जे व काश्त मे किसी प्रकार की दखल न देवे न ही जबरन कब्जा करने की कोशिश करें

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब वाद पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय दिनांक 05/03/2018 पारित करते हुये वादीगण का वाद पोषणीय नही होने से दावा ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित एवं सही रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को ख़ारिज किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर होती है | ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य-सबूतों का विधिक रूप से विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2018 निरस्त किये जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

252/2018

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य-सबूतों का तनकीवर विधिक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर